

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 31]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 28 जनवरी 2020—माघ 8, 1941

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 28 जनवरी 2020 (माघ 8, 1941)

क्र. 1592-म.प्र.वि.स.-15-विधान-2020.—प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा की निम्नलिखित विज्ञप्ति, दिनांक 28 जनवरी, 2020 सर्व-साधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित की जाती है:—

मध्यप्रदेश में गौ-वंश के संरक्षण एवं उसके परिवहन को सुचारू बनाने तथा कतिपय व्यक्तियों द्वारा परिवहन के दौरान किसी व्यक्ति या सम्पत्ति को हिंसा, क्षति या उपहति का प्रतिषेध करने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश विधान सभा में प्रस्तुत मध्यप्रदेश गौ-वंश वध प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक, 2019 (क्रमांक 17 सन् 2019) पर, विचार हेतु श्री लक्ष्मण सिंह, सदस्य विधान सभा के सभापतित्व में गठित मध्यप्रदेश विधान सभा की प्रवर समिति द्वारा इस विषय में रुचि रखने वाले व्यक्तियों, विषय विशेषज्ञों तथा संस्थाओं से सुझाव आमंत्रित किये जाते हैं. सुझाव / ज्ञापन तीन प्रतियों में प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा, अरेरा हिल्स, भोपाल-462004 को दिनांक 25 फरवरी, 2020 तक प्राप्त हो जाने चाहिए.

उपर्युक्त विधेयक मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 298, दिनांक 18 जुलाई, 2019 में प्रकाशित किया गया है. विधेयक की प्रति मध्यप्रदेश विधान सभा की वेबसाइट (http://mpvidhansabha.nic.in/bill_2019.htm) से डाउनलोड की जा सकती है.

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.